51

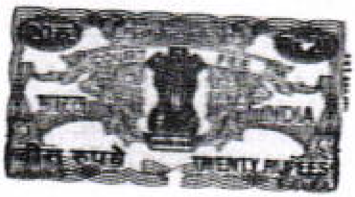

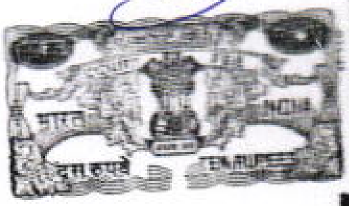

न्यायालय आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर Reg – 2239 – I. 16

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरावलोकन

हेमन्त कुमार शुक्ला पुत्र विजय कुमार शुक्ला

एच–17 चम्बल कॉलोनी, ठाठीपुर, ग्वालियर

विरूद्ध

1. अनिल कुमार पुत्र श्री विजेन्द्र कुमार

निवासी–मेन मार्केट बड़ोदा, जिला–श्योपुर

2. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर

जिला–श्योपुर म.प्र.

3. तहसीलदार तहसील बडोदा

जिला–श्योपुर म.प्र.

दिनांक 5-7-16 को श्री एस० के० वाजपेयी अधि० द्वारा प्रस्तुत

5-7-16

सदस्य श्री एम.के. सिंह द्वारा प्रकरण क्रमांक 1424–1/2016 में पारित आदेश दिनांक 19–05–2016 के विरूद्ध पुनरावलोकन आवेदन अंतर्गत धारा–51 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरावलोकन आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश में न्यायालयीन प्रक्रिया एवं अभिलेख की प्रथम दृष्टया एवं स्वयं में स्पष्ट ऐसी त्रुटियां हुयी है जो विवादित आदेश को पढ़ने मात्र से स्पष्ट है एवं आदेश के पुनरावलोकन के लिये पर्याप्त आधार निर्मित करती है.

2. यह कि, आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे पुनरावलोकन आवेदन के मुख्य आधार निम्नानुसार है–

आधारः–

3. यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्वांतो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है आवेदक को पक्षकार बनाये बिना एवं सूचना तथा सुनवायी का अवसर दिये बगैर विवादित आदेश से आवेदक के हित में किया गया नामांतरण आदेश निरस्त किया गया है.

4. यह कि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय ने 1985 म.प्र. वीकली नोट्स 160, 1985 जबलपुर लॉ जनरल 167, 1987 जबलपुर लॉ जनरल 536, 2008 (4) म.प्र. लॉ जनरल 621 आदि में यह सिद्वांत उत्पादित किया गया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत का पालन करते हुये किसी भी कार्यवाहीं में उसके व्यक्ति को पक्ष समर्थन एवं

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक **रिव्यु 2239—एक / 16** जिला —श्योपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश शासन विरूद्व सरला आदि	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6 .12 .16	आवेदक अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । अनावेदक अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1424—एक / 2016 में पारित आदेश दिनांक 19.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 2239—एक / 2016 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1424—एक / 2016 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 19.05.2016 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0 2239—एक / 2016 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:—	

1-- नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती।

3– कोई अन्य प्र्याप्त कारण।

आवेदक अधिवक्ता ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों। प्रकरण दा0 द0 हो। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जावे। आदेश की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

(एम0 0के सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मधप्रदेश
ग्वालियर